न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचरन शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 36 / 2022
जीसीएमएस न0 :— 2022 / 167
दायर दिनांक :— 20.09.2022
निर्णय दिनांक :— 14.02.2023

अनवान

1. ग्राम पंचायात सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द जरिये सरपंच कंवरलाल भील पिता नगजीराम भील, जाति भील आयु व्यस्क निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

————अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार गिलुण्ड तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. हिन्दुस्तान जिंक लि0 दरीबा माईन्स राजपुरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0 लि0 सिन्देसर कला तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 1970 निर्णय दिनांक 29.07.2022 उपतहसीलदार, गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

उपस्थित :—

1— श्री, मुकेश तलेसरा अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3
3— श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 14.02.2023

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अधीनस्थ न्यायालय— उपतहसीलदार, गिलुण्ड तहसील रेलमगरा के द्वारा राजस्व ग्राम सिन्देसरकला पटवार हल्का सिन्देसरकला में स्थित खसरा संख्या 711,712,1532 / 712, 1021, 1288 / 1153, 1289 / 1153, 1734 / 1532, 1736 / 712, 596, 597, 599, 708, 709, 710,783, 784, 785 व 816 स्थित है, उक्त भुमि के संबंध में विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या तीन के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिससे व्यथित-होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की है।

P.T.O.

अपील दर्ज रजिस्टर कर विधि की सुस्थापित प्रक्रियानुसार रेस्पोडेण्टस् की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

सर्वप्रथम उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद के बिन्दु पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण न्यायिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया साबित नही होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मेमो मे वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है, उक्त भुमि राजस्व ग्राम सिन्देसरकला में स्थित होने से ग्राम पंचायत को नियमों में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार है लेकिन ग्राम पंचायत में उक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत ही नही हुआ और सीधे ही उपतहसीलदार गिलुण्ड के यहॉ पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है, जो न केवल अवैद्य है बल्कि विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो भारत सरकार का उपक्रम है इस सम्पत्ति में भारत सरकार का हिस्सा होने से स्वामित्व के हक अधिकार हित निहित है लेकिन उक्त सम्पत्ति को विपक्षी संख्या दो द्वारा सक्षम स्तर पर स्वीकृती प्राप्त किये बगैर ही विपक्षी संख्या तीन को अंतरण कर दी है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। वादग्रस्त सम्पत्तियों को किसी भी रूप में अन्तरण करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या दो को प्रदत्त नहीं कर रखा है लेकिन रेस्पोडंट संख्या दो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर आलौच्य विक्रय विलेख अपने प्रभाव में निष्पादित व पंजियन कराया है तथा करोडों रूपयों की सम्पत्ति को अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर विपक्षी संख्या तीन को अन्तरित की है, इस प्रकार उक्त विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही शुन्य है राजकीय सम्पत्ति को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अंतरण नहीं की जा सकती है। विपक्षी संख्या एक को जो कि स्वयं उप पंजियक के रूप में भी कार्यरत है ऐसे दस्तावेज को पेश करने पर दस्तावेज का पंजीयन नहीं करना था और इनके द्वारा न केवल दस्तावेज को पंजीयन किया बल्कि पुनः गलती दोहराते हुए राजकीय सम्पत्ति के अवैद्य अंतरण विलेख के आधार पर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार का हनन कर विधि विरूद्ध स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने पैरा संख्या 1 में वर्णित भुमि के आंशिक भाग अर्थात 4.0468 हैक्टेयर भुमि का ही अंतरण विलेख निष्पादित हुआ था लेकिन बिना दस्तावेज को देखे रेस्पोडेन्ट संख्या दो की सारी सम्पत्ति को रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के नाम पर राजस्व रेकार्ड में उक्त नामान्तरकरण के जरिये दर्ज कर दिया, मौके पर उक्त भूमि के उपर रेस्पोडेन्ट संख्या तीन द्वारा अकृषि उपयोग किया जा रहा था जिसके संबंध में उक्त ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या तीन द्वारा किये जा रहे अवैद्य निर्माण कार्य को ग्राम पंचायत के संज्ञान में लाया गया जिस पर दस्तावेज निकलवाने—

P.T.O.

पर रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन के द्वारा किये गये उक्त अवैद्य कृत्य एवं उक्त स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की जानकारी हुई। रेस्पोण्डेंट संख्या तीन को उक्त विक्रय विलेख के आधार पर उक्त भूमि में किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है क्योंकि रेस्पोण्डेंट संख्या 2 को उक्त भुमि अंतरण करने का कानूनन स्वामित्व नहीं होने से अधिकार भी प्राप्त नहीं है, रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर विक्रयपत्र निष्पादन होने के 20 दिन की अवधि में ही उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो अवैद्य व विधि के विपरित है और क्षैत्राधिकार से परे है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसरकला में स्थित होने से इस भूमि में ग्रामवासियों के हक अधिकार हित निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा अपने खनन क्षैत्र के संबंध में ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत् किये गये लिखित समझोतों की पालना नहीं करने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति को अवैद्य रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या तीन को अंतरण कर दी है ताकि स्थानीय ग्रामवासियो को रोजगार उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता एवं पाबन्दी नही रहे। वर्तमान में रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में जो भी कार्य करवाये जा रहे है वह अन्य एजेन्सीयों के माध्यम से करवाये जा रहे है स्थानीय एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करया जा रहा है जैसे ही अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई ग्राम पंचायत हितबद्ध व्यक्ति होने से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गिलुण्ड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1970 दिनांक 29.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब पेश कर बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या/अप्रार्थी संख्या 3 हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, सिन्देसरकलां, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द जरिये आर0पी0माली(रामेश्वर प्रसाद माली), हेड प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0लि0 सिन्देसरकलां, हाल निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माईन्स के नाम की वर्ष 2018 में खसरा नम्बर 1021, 1288/1153, 1289/1153, 1532/712, 596, 597, 599, 708, 709, 710,783, 784, 785 व 816 कुल किता 16 रकबा 44.7988 हेक्टेयर कृषि भुमि क्रय की गई।

उक्त क्रयशुदा भुमि में से खसरा नम्बर 711 रकबा 0.1538 हेक्टेयर पुर्ण, खसरा नम्बर 712 रकबा 9.7124 हेक्टेयर में 1.7205 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1532/712 रकबा 5.7789 हेक्टेयर में से 2.1725 हेक्टेयर कुल 4.0468 हेक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 05.07.2022 को हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0 लि0 सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मुख्य कार्यालय यशदभवन स्वरूपसागर को किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1970 स्वीकृत दिनांक 29.07.2022 के दिनांक 05.07.2022 को क्रयशुदा केता हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0 लि0 सिन्देसरकलां तहसील रेलमगरा के नाम दर्ज की गई। उक्त क्रयशुदा भूमि के नामान्तरकरण संख्या 1970 स्वीकृत दिनांक 23.07.2022 की अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा की गई अपील का जवाब निम्नानुसार हैः

अपीलार्थी द्वारा बिना तथ्यों, विधि एवं आदेश की जानकारी के अभाव में दोषारोपण किया जा रहा है, उक्त भूमि राजस्व ग्राम सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा –

P.T.O.

उप तहसील गिलुण्ड में स्थित होने से राज्य सरकार के आदेश कमांक 64 दिनांक 18.08.2021 एवं 78 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा तहसीलदार को दिनांक 31.07.2022 तक नामान्तरकरण फैसल की प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 1970 क्षेत्राधिकारी उप तहसीलदार गिलुण्ड को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया जो विधि सम्मत है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम था लेकिन वर्ष 2002 में विनिवेश के बाद वेदान्ता समूह की हिस्सेदारी 64.92 प्रतिशत होने से कम्पनी का प्रबन्धन वेदान्ता समूह की हिस्सेदारी 64.92 प्रतिशत होने से कम्पनी का प्रबन्धन वेदान्ता समुह द्वारा किया जाता है। कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सक्षम स्वीकृती के बाद उक्त भूमि का विकय किया गया है, जो विधिवत है। विकय की गई भूमि निर्विवाद होकर कम्पनी की स्वयं की कयशुदा भूमि है जिसके हर प्रकार से अन्तरण करने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार है। विकय की गई उक्त भूमि राजकीय सम्पत्ति नहीं है। वेदान्ता हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्वयं की 44.7988 हेक्टेयर कयशुदा भूमि है जिसमें से 4.0468 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 05.07.2022 को सक्षम स्वीकृती के बाद बेचान किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1970 नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। विकय की गई 4.0468 हेक्टेयर भूमि का ही नामान्तरकरण केता कम्पनी हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0लि0 के हक में दायर कर विकय विलेख अनुसार ही स्वीकृत किया गया है। विकय के बाद हिन्दुस्ताान जिंक लिमिटेड की शेष रही भूमि के खाते में भूलवश हिन्दुस्तान जिंक एलॉज प्रा0लि0 दर्ज कर दिया गया जिसकी युद्धि हेतु श्रीमान् उपतहसीलदार गिलुण्ड तहसील रेलमगरा की सेवा में प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2022 को पेश किया गया है। केता कम्पनी को विधिवत् विकय विलेख एवं नियमानुसार नामान्तरकरण के आधार पर मालिकाना हक के कानुनन अधिकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमान् उप तहसीलदार गिलुण्ड ने अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 1970 दिनांक 29.07.2022 स्वीकृत किया है जो विधि अनुरूप है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1970 वैध विकय पत्र के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया गया है, विकय की गई भूमि निजी होने से ग्रामवासियों के हक अधिकार इसमें निहित नहीं है, क्योंकि यह भूमि राजकीय या सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माईन्स प्रबन्धन द्वारा अपने खनन क्षेत्राधिकार में ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये कोई लिखित समझौता नहीं किया है न ही कानुनी रूप से बाध्य है, विकय की गई भूमि की केता कम्पनी हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0लि0 एक स्वतन्त्र औद्योगिक इकाई है। भूमि का विकय एवं उसके नामान्तरकरण की विधि एवं नियमानुसार प्रकिया है जबकि स्थापित की जा रही नवीन इकाई में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना अलग मुद्दा है जिसके लिये भूमि विकय व नामान्तरण को विधि विरूद्ध एवं अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी/प्रार्थी केता कम्पनी को दबाव में लेकर इनकी मनमर्जी मुताबिक कम्पनी से कार्य करवाना चाहते है जो न्यायसंगत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने वैध अधिकार से स्वामित्व की सम्पत्ति का विकय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को वाजिब किमत प्राप्त कर किया है जिसका नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी द्वारा अपने क्षैत्राधिकार में निहित अधिकारों के अनुरूप किया है जो विधिवत एवं वैध है। अत : निवेदन है कि अप्रार्थी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईन्स वर्ष 2018 में कयशुदा अपने मालिकाना हक की भूमि में से बाद सक्षम स्वीकृति अप्रार्थी सं03 हिन्दुस्तान जिंक–

P.T.O.

एलॉयज प्रा0लि0 सिन्देसरकलां को विक्रय की है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1970 दिनांक 29.07.2022 केता कम्पनी के हक में विधिवत् सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, अतः अपील खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश कर बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील राजस्व ग्राम सिन्देसरकला पटवार हल्का सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1970 दिनांक 29.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरण की प्रकिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विधि सम्मत् व राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसुचना प.2(17)राज6/2021/78 जयपुर दिनांक 11.04.2022 तथा उक्त अधिसूचना में उल्लेखित संशोधन अनुसार निष्पादित की गई है। उक्त नामान्तरकरण प्रकिया नियमानुसार विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व ग्राम सिन्देसर कला पटवार हल्का सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 665 के खसरा संख्या 711,1733/1532, 1735/712 व 1021, 1288/1153, 1289/1153, 1734/1532, 1736/712,596,597, 599,708,709,710, 783,784, 785, 816 कुल किता 18 कुल रकबा 44.7988 हैक्टेयर भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2के स्वामित्व एवं अधिपत्य कि भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने खसरा संख्या 711, 1733/1532, 1735/712 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0468 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कि गई होने से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया उक्त नामान्तरण में खाता संख्या 665 में वर्णित खसरा संख्या 711, 1733/1532, 1735/712 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0468 हैक्टेयर भूमि विक्रय जाने से उक्त भूमि के नए खाता संख्या 716 केता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा.लि. के नाम दर्ज किया गया तथा खाता संख्या 665 की शेष 40.7520 हैक्टेयर भूमि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा के नाम है जो सहवन से कम्प्युटरी ऑटोमेशन से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई जिसके खाता संख्या 665 की शेष 40.7520 हैक्टेयर भूमि के रूप में दर्ज है केवल कम्प्युटर तकनीकी त्रुटि से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का नाम मिलता जुलता होने से भू0अ0नि0 की जॉच में नही पाई गई इसके प्रावधान के अन्तर्गत उक्त कम्प्युटर त्रुटि के सुधार हेतु अन्दर मियाद एक आवेदन दिनांक 08.09.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहॉ प्रस्तुत किया जिसे सम्बन्धित पटवारी को राजस्व रेकर्ड में कम्प्युटर ऑटोमेशन तकनीकी त्रुटि के सुधार हेतु प्रेषित कर दिया गया। राजस्व रेकर्ड में त्रुटि सुधार हेतु प्रकिया विचाराधीन होकर नियमानुसार समय मियाद अवधि में प्रकियाशील थी इसी बीच अपिलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरण अपील प्रस्तुत कर दिये जाने और श्री न्यायालय द्वारा संबंधित पत्रावली तलब कर दिये जाने से राजस्व रेकार्ड में कम्प्युटर तकनीकि त्रुटि सुधार हेतु प्रकिया लम्बित है, भू–राजस्व अधिनियम धारा 86 के तहत यदि कोई नामान्तरण में लिपिकिय त्रुटि होती है तो 90 दिवस में नामान्तरण स्वीकृति अधिकारी द्वारा त्रुटि की शुद्धि नियमानुसार किये जाने के प्रावधान है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में बहस , विधिक नजीरों, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया, दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार–

P.T.O.

पर प्रथमदृष्टया प्रमाणित है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 4.0468 हैक्टेयर भूमि ही विक्रय हुई है, तथा 4.0468 हैक्टेयर भूमि के विक्रय के मुद्रांक कर एवं पजीयंन शुल्क राजकोष में जमा है, जबकि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों से उक्त नामान्तरण के जरिये हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सम्पूर्ण 44.7988 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्रा0 लि. के नाम पर दर्ज कर दी गई है, जो पुर्णतः विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं प्रचलित विधि के प्रावधानों के विपरीत है, उक्त नामान्तरकरण में निहित भूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति, राजकोष में जमा योग्य मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की जॉच किये बिना ही स्वीकृत कर गंभीर त्रुटि कारित की है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की जवाबदेही से भी है, उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया उक्त नामान्तरण बिना नियमानुसार जॉच व विधिक प्रकिया अपनाये स्वीकृत किये जाने से अपास्त होने योग्य है, अतः न्यायहित में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1970 स्वीकृत दिनांक 23.07.2022 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार जॉच व विधिक प्रकिया के अनुसार प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के उपरोक्त सुसंगत तथ्यों, विधिक प्रावधानों, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1970 स्वीकृत दिनांक 23.07.2022 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उपरोक्त सभी आर्ब्जरवेशनस् के साथ नामान्तरकरण की वैधता,– पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेज के क्रेता–विक्रेता के अधिकारों की विधिक स्थिति, नियमानुसार राजकोष में देय मुद्रांक एवं पजीयंन शुल्क की जमा की सुनिश्चितता, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1872, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (भू–अभिलेख) नियम–1957** में निहित व्यापक प्रावधानों, माननीय उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक पूर्व निर्णयों (Judicial precedents) को दृष्टिगत विधिक हित वाले पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य– सबुतों व न्यायिक गुणावगुण के आधार पर सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे, तथा नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

14/02/2023
(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/02/2023
(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द